प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
खंडपीठ

कोरम : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश
एवं माननीय श्री डी. आर. देशमुख, न्यायाधीश

विविध सिविल प्रकरण क्रमांक: 481/2006

आवेदक
याचिकाकर्ता

महाप्रबंधक,
भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड,
कैप्टिव पावर प्लांट,
जमनीपाली, कोरबा (छत्तीसगढ़)

बनाम

अनावेदकगण
उत्तरवादीगण

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, कार्यालय परिसर, सहायक श्रम आयुक्त, कोरबा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

2. छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा निरीक्षक, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, कार्यालय परिसर, सहायक श्रम आयुक्त, कोरबा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

3. महासचिव, बीसीपीपी नॉन–एग्जीक्यूशन एम्प्लॉयीस यूनियन, आईएनटीयूसी, जमनीपाली, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

4. महाप्रबंधक, एनटीपीसी, सुपर थर्मल पावर प्लांट, कोरबा (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध सिविल प्रकरण क्रमांक: 482/2006

आवेदक
याचिकाकर्ता

भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड,
बालको नगर, कोरबा, द्वारा
कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख

बनाम

अनावेदकगण
उत्तरवादीगण

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, कार्यालय परिसर, सहायक श्रम आयुक्त, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग)

2. छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा निरीक्षक, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, कार्यालय परिसर सहायक श्रम आयुक्त कोरबा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

3. महासचिव,
बीसीपीपी नॉन–एग्जीक्यूशन एम्प्लॉयीस यूनियन,
आईएनटीयूसी, जमनीपाली, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

विविध सिविल प्रकरण क्रमांक: 528/2006

आवेदक
याचिकाकर्ता

1. भारतीय संघ, द्वारा मंत्रालय
महाप्रबंधक, रेल मंत्रालय,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, गार्डन रीच, कोलकाता

2. मंडल रेल प्रबंधक,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3. अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक (अपील प्राधिकारी),
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल,रायपुर(छ.ग)

4. वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (टीआरएस),
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल, भिलाई(छ.ग)

बनाम

अनावेदकगण
उत्तरवादीगण

1. राजीव नागरिया, सेक्शन इंजीनियर (टीआरएस)
(सेवा से पृथक), पिता श्री डी. पी. नागरिया,
निवासी – क्वार्टर नंबर 508/बी, जोन–1, रोड
नंबर 33,पोस्ट बीएमवाई चारौदा, दुर्ग (छ.ग)

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर पीठ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध सिविल प्रकरण क्रमांक: 529/2006

आवेदक
यचिकाकर्ता

1. भारतीय संघ, द्वारा सचिव , रेल
मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली

2.संभागीय रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

अनावेदकगण
उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, स्थानीय
स्वशासी शासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन,
डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग)

2. नगर निगम,बिलासपुर द्वारा आयुक्त ,

बिलासपुर तहसील एवं जिला,बिलासपुर, छत्तीसगढ़

3. कलेक्टर, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

उपस्थित: **श्री अभिषेक सिन्हा, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता।**

मौखिक आदेश

(दिनांक 04 अक्टूबर 2006 को पारित)

निम्नलिखित मौखिक आदेश माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया:

(1) हम प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्यत्र दी गई उस चेतावनी का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें कहा गया है कि इस प्रकार के शपथपत्रों में वर्णित कथनों /अभिवचनो के विवेचन में, जैसे कि उपर्युक्त विविध सिविल प्रकरण में प्रस्तुत किए गए हैं, न्यायालय को अपनी सामान्य समझ को ठन्डे बस्ते में नहीं रखना चाहिए और अपने अनुभव को भी दरकिनार नहीं करना चाहिए।

(2) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के सदस्यों द्वारा दिनांक **23 अगस्त** 2006 को न्यायालय की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने की पृष्ठभूमि, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य के विधि अधिकारियों के रूप में बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति के विरुद्ध विरोध स्वरूप थी, संक्षेप में इस प्रकार है:

(3) ऐसा प्रतीत होता है कि 22 **अगस्त** 2006 या उसके पूर्व, अधिवक्ता संघ ने यह प्रस्ताव पारित किया कि उसके सदस्य 23 **अगस्त** 2006 को न्यायालय की कार्यवाही से अनुपस्थित रहेंगे। ऐसा प्रस्ताव पारित करने के पश्चात, **22 अगस्त 2006 को दोपहर 1:30 बजे**, श्री पी.के.सी. तिवारी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, श्री शैलेन्द्र दुबे, श्री रविश वर्मा तथा संघ के कुछ अन्य वरिष्ठ सदस्य माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिले और 22 अगस्त 2006 को एक पत्र प्रस्तुत किया गया।उक्त पत्र इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"सेवा में,
माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं
उनके साथी न्यायाधीशगण,
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,
बिलासपुर।

विषय: दिनांक 23.08.06 को न्यायिक कार्यों से विरत रहने के संबंध में।
संदर्भ: छत्तीसगढ़, बिलासपुर उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ का प्रस्ताव।

आदरणीय महोदय,

छ.ग. राज्य में सार्वजनिक कार्यालय (महाधिवक्ता कार्यालय) पर बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति से व्यथित होकर, जिसके परिणाम स्वरुप स्थानीय अधिवक्ताओं को अवसर से वंचित किया जा रहा है और उनके अपमान की भावना के परिप्रेक्ष्य में, संघ की आमसभा ने यह संकल्प पारित किया है कि दिनांक 23.08.06 को राज्य सरकार के निर्णय के विरोध में अधिवक्ता उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।

अतः विरोध स्वरुप अधिवक्ता दिनांक 23.08.06 को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, जो विरोध का प्रतीक होगा और इस संबंध में पीठ से सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

यह पत्र आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

रविशवर्मा सचिव | उपाध्यक्ष, बार काउंसिल | पी. के. सी. तिवारी अध्यक्ष

(4) संघ के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने, जो उनके साथ उपस्थित थे, मुख्य न्यायाधीश को बताया कि राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपने प्रकरणों की पैरवी हेतु एक बाहरी व्यक्ति को अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि राज्य के अधिवक्ताओं पर विचार नहीं किया गया।स्थानीय अधिवक्ताओं को उस पद हेतु अवसर न दिए जाने के कारण, अधिवक्ता संघ ने यह संकल्प पारित किया कि उसके सदस्य 23 अगस्त 2006 को न्यायालय की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और इस प्रकार विरोध दर्ज करेंगे।संघ के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण से अपने इस निर्णय के समर्थन में "सहयोग" की अपील की।उसी दिन शाम 4:30 बजे, उच्च न्यायालय के समस्त माननीय न्यायाधीशों की बैठक मुख्य न्यायाधीश के कक्ष में हुई, जिसमें यह चर्चा की गई कि अधिवक्ता संघ द्वारा यह संकल्प बिना किसी पूर्व परामर्श या मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बिना पारित किया गया कि 23 अगस्त 2006 को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। श्री पी. के. सी. तिवारी – अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, श्री प्रशांत मिश्रा – अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल ,अन्य पदाधिकारीगण, अधिवक्ता संघ के कुछ वरिष्ठ सदस्यगण उपस्थित थे। आवश्यक विचार–विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह राय बनी –– न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष तथा अन्य उपस्थित सदस्यों द्वारा –– कि न्यायालय का यह प्रस्तावित बहिष्कार पूरी तरह असंवैधानिक है तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय **एक्स कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ एवं अन्य**[1] के बाध्यकारी निर्णय के विरुद्ध है। यह भी महसूस किया गया कि न्यायिक कार्य से विरत रहने का जो आधार प्रस्तुत किया गया, वह कमजोर, आधारहीन तथा ऐसा नहीं था जिससे बार की प्रतिष्ठा, सम्मान, गरिमा अथवा विश्वसनीयता को कोई ठेस पहुंचे। उपरोक्त सामूहिक आमराय के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता संघ के सदस्यों का इस प्रकार न्यायिक कार्य से अनुपस्थित रहना पूरी तरह अनुचित, अनैतिक तथा असंवैधानिक होगा। उक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट किया गया कि 23 अगस्त 2006 को न्यायिक कार्य से विरत रहना न केवल अनुचित होगा, बल्कि बार एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से अपने निर्णय को वापस ले लेना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) यद्यपि उपरोक्त विचार सभी पक्षकारों की साझा सहमति से बनी थी, फिर भी श्री पी. के. सी. तिवारी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ तथा अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से कहा कि उन्हें दिनांक 23 अगस्त 2006 को पूर्व में पारित "न्यायिक कार्य से विरत रहने" के प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव पारित करने हेतु कुछ समय चाहिए होगा।उन्होंने मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को यह भी आश्वासन दिया कि अधिवक्ता संघ के सदस्य सुबह लगभग 11:00 बजे न्यायालय में उपस्थित हो जाएंगे, और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 11:00 बजे से पहले ही प्रत्येक खंडपीठ में कुछ अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे,ताकि कोई वाद डिफ़ॉल्ट में न चला जाए।परंतु वे अपने वचनों और आश्वासनों पर कायम नहीं रहे। जब न्यायालय ने दिनांक 23 अगस्त 2006 को प्रातः10:30 बजे कार्य प्रारंभ किया, उस समय अधिवक्ता संघ का कोई भी सदस्य न्यायालय में उपस्थित नहीं था। दिनभर की कार्यवाही के दौरान केवल निम्न अधिवक्ताओ श्री उत्कर्ष वर्मा, उप–शासकीय अधिवक्ता ,श्री वी. जी. तमास्कर, श्री एम. पी. एस. भाटिया ने केवल उन्हीं मामलों में उपस्थिति दर्ज की जिनमें वे पूर्व से नामित थे।

(6) यह स्पष्ट रूप से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पत्र से सिद्ध होता है कि 23 अगस्त 2006 को न्यायालय का बहिष्कार करने का प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश को सूचित किए बिना ही अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायलय के बहिष्कार का संकल्प पारित कर लिया गया था जो की देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधिक व्यवस्था का पूर्ण उल्लंघन है ,जैसा कि हरीश उप्पल के मामले में कहा गया है। हम इस प्रकार के स्पष्ट रूप से अनैतिक एवं अव्यावसायिक आचरण की पूर्ण और कठोर निंदा करते हैं हम अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित करते हैं कि बार एसोसिएशन के उन सदस्यों का जिन्होंने इस प्रस्ताव में भाग लिया और

1(2003) 2 SCC 45

न्यायिक कार्य से अनुपस्थित रहे, उनका आचरण स्पष्ट रूप से अनैतिक एवं अव्यावसायिक था– और हम इसकी पूर्ण एवं तीव्र निंदा करते हैं।

(7) भूल मानव स्वभाव है; आत्म चिंतन और पश्चाताप एक सद्गुण है।इन मामलों में, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिनांक 23 अगस्त 2006 को अनुपस्थित रहने पर खेद व्यक्त किया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि वे अधिवक्ता संघ के उस अनुचित निर्णय से स्वयं को पूर्णतः अलग रखते हैं।अपनी दलीलों के दौरान, संबंधित अधिवक्ता ने न्यायालय से बिना शर्त क्षमा भी मांगी है कि वे बार के उस अनुचित निर्णय का हिस्सा बने।

(8) यह निर्विवाद है कि हरीश उप्पल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक स्थलों पर यह स्पष्ट किया है कि ऐसे कृत्य की मात्र अस्वीकृति पर्याप्त नहीं होती।ऐसे अनुचित आचरण की अस्वीकृति के साथ–साथ ठोस कार्रवाई के सुझाव भी दिए गए है। बेशक, यह समस्या का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि क्या निर्दोष वादकारियों को —– विशेष रूप से वे जिन्होंने अपने दीवानी मामलों में अधिवक्ताओं को नियुक्त किया था —– अपने अधिवक्ताओं की त्रुटियों अथवा दुराचार के लिए गंभीर रूप से पक्षपात करने की अनुमति दी जाती है। यदि हम इन याचिकाओं को पुनर्स्थापित नहीं करते हैं, तो निस्संदेह याचिकाकर्ताओं को गंभीर कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ेगा —– और कुछ मामलों में तो यह न्याय की असफलता एवं अपूरणीय क्षति हैं जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी ।हरीश उप्पल मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कही गई बातों और अन्य मामलों में दिए गए उन निर्णयों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए —– जिनमें कहा गया कि अधिवक्ताओं की त्रुटियों का खामियाजा पक्षकारों को नहीं भुगतना चाहिए —– हम भारी मन एवं दिल से इन याचिकाओं को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, इस आश्वासन और विश्वास के साथ कि भविष्य में बार के सदस्य इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे, विशेष रूप से ऐसे कमजोर और अवैध आधारों पर, जैसे कि 23 अगस्त 2006 को न्यायिक कार्य से अनुपस्थित होने के लिए दिया गया था।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उच्च न्यायालय प्रशासन अथवा पीठ द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया था जिससे बार की स्वतंत्रता या प्रतिष्ठा पर कोई प्रश्न खड़ा होता। बार द्वारा न्यायालयीन कार्य से अनुपस्थित रहने का जो कारण बताया गया, उसका उच्च न्यायालय के प्रशासन, पीठ या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने वाले वादियों के आचरण से कोई लेना देना नहीं है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) अतः परिणामस्वरूप एवं पूर्वोक्त कारणों से हम विविध सिविल प्रकरण ,क्रमांक 481/2006, 482/2006, 528/2006 एवं 529/2006 को स्वीकृत करते हैं की प्रत्येक मामले में ₹ 300/– व्यय अधिरोपित करने के साथ, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को आज से 15 दिनों के भीतर देय होगी।यह व्यय संबंधित अधिवक्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से अदा की जाएगी, और वे इसके लिए पक्षकारों से कोई प्रतिपूर्ति नहीं ली जाएगी।

हस्ताक्षर/–
मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षर/–
दिलीप राव साहेब देशमुख
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By **ADV.VARSHA THACKER.**